सीताराम व अन्य

बनाम

राधेश्याम

05 अक्टुबर 2007

[डॉ अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंटा जे.जे.]

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963

धारा 16 (ग) विशिष्ट अनुतोष के लिये दावा अभिनिर्धारित इन्कार नही किया जाना चाहिए यदि वादी का आचरण दोष रहित है।

वादी अपीलार्थी ने विशिष्ट अनुबन्ध के निष्पादन मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने वाद को डिक्री किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर डिक्री को अपास्त कर दिया कि अभिवचन धारा 16 (ग) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुरूप नही है। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को भी खारिज कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी ने तर्क दिया कि वाद में संक्षेप तथ्य के बारे में विशिष्ट कथन किया गया था कि वादी ने प्रतिवादी को बताया था कि वे तैयार है और ऐसा प्रयास या कार्य करने के इच्छुक है जो करने के लिये आवश्यक होगा अनुबन्ध के निष्पादन के लिए इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना

उचित नही था कि धारा 16 (ग) अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन नही किया गया।

प्रत्यार्थी ने तर्क दिया कि अभिवचन के पढ़ने से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 866 को बाद में जोड़ा गया है इसलिए वादी मूल रूप से अनुबंध करने के लिए तैयार और इच्छुक है प्रश्न ही पैदा नही होता है] उन्होेनें इसका भी विशिष्ट उल्लेख किया कि अभिवचनों के अनुसार हालाकि दस्तावेजों को 01-09-1977 को निष्पादित किया गया था और उसी समय पूरा हो गया था और इसी आधार पर डिक्री की गई है निष्कर्ष निकाला। यह भी तर्क दिया गया कि यदि डिक्री का समापन अभिवचनों के अनुसार किया था] तो विशिष्ट अनुबंध के लिये मुकदमा दायर करने का सवाल ही पैदा नही होता है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित-1-धारा 16 (ग) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963] स्पष्टीकरण (द्वितीय) के साथ पढ़ा जाये तो यह मूल सिद्धांत यह है कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का लाभ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को यह प्रकट करना होगा की आचरण हमेशा दोषरहित रहा है। वादी का आचरण उसे अवलोकन अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार देता है। उसे अनुतोष से वंचित नही किया जाना चाहिए। (पैरा-10)

2- इस बात पर कोई विवाद नही है कि खसरा नंबर 866 के संबंध

में दावा किया गया था। 866 जो समझौते का हिस्सा नही था। यह भी कथन था कि ईकरारनामा पूर्ण बिक्रीनामा था। पैरा-11 एनिग्लेस योहनन बनाम रामलथा व अन्य (2005) 7 एस-सी-सी- 534 पर विश्वास किया गया। अर्देशिर एच- मामा बनाम फ्लोरा ससून- ए आई आर (1928) पी-सी- 208, प्रेमराज बनाम डी-एल-एफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट कंपनी लिमिटेड व अन्य] ए-आई-आर (1968) एच-सी- 1355] सैयद दस्तगीर बनाम टी-आर- गोपालकृष्ण शेटटी (1999) 6 एच-सी-सी 337, मोतीलाल जैन बनाम रामदासी देवी श्रीमती व अन्य (2000) 6 एच-सी-सी- 420 लॉर्ड कैंपबैल इन कॉर्क बनाम अम्बेर गेट व आदि व रेल्वे कंपनी(1851) 117 ई-आर- 1229 संदर्भित]

सिविल अपीलय न्याय निर्णयः सिविल संख्या 4656 वर्ष 2007

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर के निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 24-10-2005 से एस-बी- सिविल द्वितीय अपील संख्या 535@2005]

अपीलार्थीयों की ओर से अजय चौधरी व विजयपाल सिंह।

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, पीयुष जैन, प्रतिभा जैन उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय के निर्णय द्वारा डॉ अरिजीत पसायत जे द्वारा दिया गया

1- अपील की स्वीकृत की गई।

2- यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को द्वितीय अपील में खारिज होने पर वादी@अपीलार्थी द्वारा की गई है। यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि निचली अदालत ने संविदा के विशिष्ट अनुपालना के वाद को डिक्री किया था जबकि अपीलीय न्यायालय ने डिक्री को अपास्त कर दिया था। अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अभिवचन धारा 16(ग) विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप नही थे। (संक्षेप में अधिनियम) विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए की विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आलिप्त नही है] वास्तव में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय तथ्यों पर आधारित था।

3- अपील के समर्थन में अपीलार्थीयो के विद्वान अभिभाषक ने यह दलील दी की अभिवचन में सार रूप में प्रतिवादी को तथ्य के बारे में यह कथन किया था की वे संविदा की पालना के लिये तत्पर व ईच्छुक है] जो संविदा की पालना के लिये आवश्यक है इसलिए पहली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय उचित नही थे। यह अभिनिर्धारित करते हुए की धारा 16(ग) की अपेक्षाओं को पूरा नही किया गया था।

4- इसके विपरित प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक ने दलील दी की अभिवचनों को नंगी आंखो से पढने मात्र से ही प्रतित होता है कि खसना

नंबर 866 बाद में जोडा गया इसलिए मूल रूप से अनुबंध का पालन करने के लिये तैयार करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दस्तावेजों को 01-09-1977 को निष्पादित किया गया था उसी समय पूरा हो गया था और इसी आधार पर डिक्री का निष्कर्ष निकाला गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बिक्री अनुरोध के रूप में निष्कर्ष निकाला गया था] विशिष्ट के लिये मुकदमा दायर करने का प्रश्न अनुबंध ही नही होता है। इसके अलावा वादी ने स्वयं कहा था की खसरा नंबर 866 को बाद में जोडा गया।

5- प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीयों की सराहना करने के लिये स्पष्टीकरण के साथ धारा 16(ग) को उद्दत करने की आवश्यकता है] वह इस प्रकार हैः-

16- अनुतोष के लिये व्यक्तिगत प्रतिबंध

(अ) ----------

(ब) ----------

ग- जो यह साबित करने में विफल रहता है कि उसने अनुबंध की आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिये पालन किया है या हमेश तैयार और इच्छुक रहा है।

जिसकी पालना की शर्तों के अलावा उसके द्वारा पालन किया जाना है प्रतिवादी द्वारा रोका गया है या माफ कर दिया गया है

स्पष्टीकरण खण्ड (ग) के उददेश्यों के लिये

1- जहा किसी अनुबंध में धन का भुगतान शामिल हो यह आवश्यक नही है वादी के लिये वास्तव में प्रतिवादी को निविदा देवे]या न्यायालय में कोई भी धनराशि जमा कराने के लिये सिवाय इसके की जब न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया हो।

2- वादी को कार्य निष्पादन या तैयारी और ईच्छा अनुबंध के वास्तविक अर्थ के अनुसार तैयार रहना चाहिए।

6- अर्देशिर एच- मामा बनाम फ्लोरा ससुन ए-आई-आर (1928) पी-सी- 208 में कहा की जहा व्यथित पक्ष ने मुकदमा तैयार किया एक उल्लंघन की जड में जा रहा है इस प्रकार व उपाय के लिये चुना अनुबंध जो स्वयं अंत में है और दायित्व से मुक्त है उनके द्वारा आगे किसी भी पालना पर विचार नही किया गया या न ही किया जाना था टैंडर किया। दूसरी ओर विशिष्ट पालना के लिये एक वाद ऐसा उन्होने उपाय किया और न्यायालय द्वारा अनुबंध को अभी भी अस्तित्व में माना जाना आवश्यक था। वह उस मुकदमें में आरोप लगाने के लिये और यदि तथ्य को उलटा जाये तो आदेश की तारीख से निरंतर तैयारी और ईच्छा साबित करने की आवश्यकता थी। सुनवायी के समय तक अनुबंध अपनी ओर से अनुबंध का पालन करने के लिये। उस कथन को ठीक करने में विफलता अपने साथ लाती है और मुकदमें को अपरीहार्य रूप से खारिज करने की ओर ले जाती है। टिप्पणीयों को अनुमोदन के साथ उदित किया गया था।

प्रेमराज बनाम डी-एल-एफ- हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड व अन्य ए-आई-आर (1968) एस-सी 1355।

7- इस न्यायालय में धारा 16 (ग) की आवश्यकताओं की जांच करते हुए सैयद दस्तगीर बनाम टी-आर- गोपाल कृष्ण शेटटी (1999) 6 एस-सी-सी- 337 में नोट किया जो इस प्रकार है। विशेष रूप से धारा 16 (ग) के संदर्भ में और क्या है दायित्व जिनका वादी को पालन करना होता है। उसकी याचिका और वादी की याचिका का अर्थ नही लगाया जा सकता। उपरोक्त धारा की आवश्यकता के अनुरूप होने के लिये या इस खंड में विशिष्ट शब्दों का अनुरोध किया जाना आवश्यक है कि उसने पालन किया या हमेशा तैयार रहा है और अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिये तैयार है। किसी भी अभिवचन में याचिका का अर्थ लगाने में अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए की याचिका कर्ता की अभिव्यक्ति कला है न ही विज्ञान लेकिन एक अनुतोष के लिये अपने मामले के तथ्य और कानून को रखने के लिये शब्दों के माध्यम से एक अभिव्यक्ति ऐसी अभिव्यक्ति प्वाईंटेड सटीक हो सकती है। कभी कभी अस्पष्ट लेकिन फिर भी यह समझा जा सकता है कि वह क्या चाहता है। याचिका का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के आधार पर पूरी दलील को पढकर ही इसे व्यक्त करे। भारत में अधिकांश; याचिकाओं का मसौदा वकील द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए उपरोक्त याचिकाओं में अंतर है जो अनिवार्य रूप

से एक दूसरे से भिन्न होता है। इस प्रकार एक पीछे सच्ची आत्मा को समझ के लिये निवेदन है कि इसे समग्र रूप से पढा जाना चाहिए। यह किसी को भी विचलित नही करता है। कानून के तहत आवश्यकता अनुसार अपने दायित्वों का पालन करना लेकिन यह जांच के लिये कि क्या उसने अपने दायित्वों का पालन किया है। किसी को आधार देखना होगा और एक दलील का सार जहा किसी कानून में किसी तथ्य की आवश्यकता होती है तब जो निवेदन किया जाता है वह किसी भी रूप में हो सकता है। वैसा ही याचिका को अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जा सकता है। तो फिर इसे केवल किसी विशेष रूप में कैसे सीमित किया जा सकता है। नाम करण या शब्द जब तक कि किसी कानून ने विशेष रूप से याचिका की आवश्यकता न हो धारा 16 (ग) में भाषा के लिये विशिष्ट वाक्यांश की आवश्यकता नही है लेकिन केवल यह की वादी को कहना होगा की उसने पालन किया है या हमेश अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिये तैयार रहा है और है तो तैयारी और इच्छा का अनुपालन भावना से होना चाहिए और स्वरूप और शब्दों के रूप में नही] तो एक के लिये जोर देना कानून के सटीक शब्दों का यांत्रिक उत्पादन जोर देना है] सार के बजाय रूप के लिये इसलिए फॉर्म की अनुपस्थिति नही हो सकती है। यदि पहले से ही अनुरोध किया गया है तो एक सार को भंग कर दें।

8- पुनः मोतीलाल जैन बनाम श्रीमती रामदासी देवी व अन्य (2000) 6 एस-सी-सी 420 को इस प्रकार नोट किया गया।

7- दूसरा विवाद जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला तैयार और अनुबंध अपने हिस्से का पालन करने को तैयार और किसी भी समय इसे साबित करने के लिये रिकार्ड पर कोई सबूत नही है। उस विवाद को विकसित जिसमें निर्भरता रखी गई थी वर्गीस मामला (1969) दो एस-सी-सी- 539 उस मामलें में वादी सूट संपत्ति की बिक्री के लिये एक मौखिक अनुबंध का अनुरोध किया प्रतिवादी कथित मौखिक समझौते से इंकार किया और एक अलग अनुरोध किया जिसके संबंध में वादी ने न तो अपने वाद में संशोधन किया और न ही वाद में अभिवचन दायर किया और यह उस संदर्भ में था कि न्यायालय ने इंगित किया कि विशिष्ट निष्पादन में अभिवचन होना चाहिए। संहिता की पहली अनुसूची के पदउत्तर 47 व 48 के अनुरूप सिविल प्रक्रिया अब्दुल कादर मामलें में इस दृष्टीकोण का पालन किया गया था।

8- हालाकी इस अदालत ने चंडियोग में अलग टिप्पणी की थी (1970) 3 एससीसी 140 ए आई आर (1970) एस सी 1238। इस मामले में ए आर से लीज होल्ड प्लाट खरीदने पर सहमती व्यक्त की आर नही था। सरकार से उसके पक्ष में भूमि का पटटा और न ही वह इसमें शामिल था उसी का अधिकार हालाकी आर को बडी रकम मिली। बिक्री के लिये

समझौते के अनुसार जो प्रदान करता है। शेष राशि पंजीकृत बिक्री विलेख का देह राशि का भुगतान एक महीन के भीतर किया जाएगा। समझौते के तहत आर था। अनुमति और मंजुरी प्राप्त करने की बाध्यता के तहत आर ने सरकार से मंजुरी के लिये आवेदन करने के लिये कोई कदम नही उठाया। ए ने बिक्री के लिये अनुबंध के विशिष्ट पालना के लिये मुकदमा दायर किया। आर के तर्को मे से एक तर्क था कि एक तैयार नही था और अनुबंध के अपने हिस्से के पालन के लिये तैयार नही था। इस न्यायालय ने कहा की तैयारी और इच्छा को एक स्ट्रेट जैकिट सूत्र के रूप में नही माना जा सकता था और इसे तथ्यों की सम्पूर्णता से निर्धारित किया जाना था और पार्टी के इरादे और आचरण के लिये प्रासंगिक परिस्थितियां विचारणीय है। यह माना गया की दिखाने किसी भी सामग्री के अभाव में अनुबंध का या उसके पास आवश्यक धन नही था भुगतान जब मंजुरी के बाद बिक्री विलेख निष्पादित किया जाएगा। ए विशिष्ट पालना के लिये बिक्री का हकदार था। उस निर्णय पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भरोसा किया था। सैयद दस्तगीर मामला न्यायालय जिसमें अभिनिर्धारित किया की किसी भी अभिवचन में एक याचिका का अर्थ लगाने में अदालतों को ध्यान रखना चाहिए-ध्यान रखे की एक दलील कला और विज्ञान की अभिव्यक्ति नही है। बल्की एक मामलें के तथ्य और कानून को रखने के लिये शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति एक अनुतोष यह बताया गया है कि भारत में अधिकांश याचिकाओं को मसौदा परामर्श द्वारा तैयार किया जाता

है इसलिए वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे से भिन्न होते है। इस प्रकार एक याचिका के पीछे की सच्ची भावना को देखने के लिये इसे समग्र रूप से पढा जाना चाहिए और यह परीक्षण किया जाना चाहिए की क्या वादी ने अपने दायित्वों का पालन किया है। याचिका के सार को देखना होगा। यह देखा गया

> "जब तक ही एक कानून विशेष रूप से किसी याचिका को किसी भी मामलें में होने की आवश्यकता नही है। विशेष रूप से, वह किसी भी रूप में हो सकता है। कोई विशिष्ट वाक्यांश नही या ऐसी दलील लेने के लिये भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 16(ग) की आवश्यकता नही है कोई विशिष्ट वाक्यांश लेकिन केवल यह की वादी को टालना चाहिए की उन्होने पालना की है या करने को तैयार है अपने अनुबंध के हिस्से का पालन करे। अतः अनुपालना तैयारी और इच्छा, भावना और सार में होनी चाहिए और शब्द रूप में नही। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तैयारी और इच्छा का प्रमाण अभियोग एक गणीतीय सूत्र नही है जो केवल विशिष्ट रूप में होना चाहिए। शब्द यदि समग्र रूप से वाद में अभिकथन स्पष्ट रूप से इंगित करते है, वादी की तैयारी और इच्छा अपने हिस्से को पुरा करने के लिये अनुबंध के तहत दायित्व जो विषय

वस्तु है। वाद, तथ्य यह है कि अलग अलग शब्दों में है] इसके खिलाफ विद्रोह नही करेंगे। विशिष्ट के लिये एक मुकदमें वादी की तैयारी और इच्छा ब्रिकी के लिये अनुबंध का निष्पादन।"

9- लॉर्ड कैंपबैल इन कॉर्क बनाम आंबेरगेट आदि और रेल्वे कंपनी (1851) 117 ई-आर- 1229 में देखा माना की सामान्य अर्थो में इसका अर्थ तैयारी और इच्छा का एक प्रमाण यह होना चाहिए की पूरा न होना अनुबंध की गलती वादी की नही थी, वे प्रतिवादी थे।

10- स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 16 (ग) के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति विशिष्ट पालना का लाभ लेना चाहता है, उसे विशिष्ट अनुतोष का हकदार बताना यह प्रावधान एक व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाता है। अदालत को मांग करने वाले व्यक्ति के आचरण के आधार पर अनुतोष देना है। यदि अभिवचन प्रकट होते है कि वादी का आचरण उसे हकदार बनाता है। अभियोग अवलोकन पर अनुतोष प्राप्त करने के लिये अनुतोष से वंचित नही किया जाना चाहिए।

11- ऐसा होने पर निहित पृष्ठ भूमि तथ्यों पर विचार करते हुए खसरा नंबर 866 के संबंध में दावा किया गया था जो की समझौते का हिस्सा नही था। इस प्रभाव का भी एक अनुमान था की समझौता एक पूर्ण डिक्री से संबंधित था। लागत के संबंध में कोई आदेश नही होगा।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रेम सिंह धनवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।